मुन्तकिली प्रकरण सं0 57/2017 अनवानी अमर कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी 35 एमओडी तह0 पीलीबंगा बनाम बनवारीलाल उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ भैरूदान वगैरा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
57/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.08.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 110/2017 अनवानी अमर कुमार बनाम भैरूदान वगैरा धारा 91, 92ए, 188, 209 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि अब पीठासीन अधिकारी श्री बनवारीलाल, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। यदि उनका यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 110/2017 अनवानी अमर कुमार बनाम भैरूदान वगैरा धारा 91, 92ए, 188, 209 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के प्रस्तुत किया गया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ श्री बनवारीलाल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1632
7-9-17

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर